न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152,

email - scdisability2008@gmail.com, Website : scdisabilities.org

पत्रांक-1411/आ०नि०श० दिनांक 23 दिसम्बर'19

नोटिस-पत्र,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-84/2019

माहिम राय एवं अन्य (2)

बनाम

(1) सभी जिला के "जिला शिक्षा पदाधिकारी", बिहार
(2) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(3) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(4) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
(5) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रकरण में :- **प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला के दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्ति का स्पष्ट प्रकाशित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री माहिम राय, ग्राम, सदरपुर, पो0-सदरपुर, जिला-नालन्दा एवं श्री शिवशंकर कुमार, ग्राम-मोहनपुर, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा द्वारा दायर परिवाद पत्र।**

पूर्व में पारित आदेश के क्रम में वादी, प्रतिवादी- सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि उपस्थित हैं।

प्रतिवादियों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 से सम्बन्धित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसे अभिलेख में संधारित करें। प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में सभी जिलों में आवेदन प्राप्त करने हेतु, जो प्रकाशन किया गया था, जिसमें स्पष्टता एवं एकरूपता का अभाव रहा है, जिस कारण दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है। इस अनियमितता के कारण बहुत सारे दिव्यांगजन अपना आवेदन समर्पित करने से वंचित रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पद की गणना उक्त विज्ञापन में जो दर्शाया गया है, उसमें भी प्रथम दृष्टया त्रुटि प्रतीत होता है। इस संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-34(2) उल्लेखनीय है :-

> *"जहां कोई रिक्त किसी भर्ती वर्ष मे उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में अग्रनीत होगी और यदि पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो पहले यह पांच प्रवर्गो में से अदला-बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा। परन्तु यदि किसी स्थापन मे रिक्तियों की प्रकृत ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गो के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गो में अदला-बदली की जा सकेगी।"*

सभी जिला के उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आदेश दिया जाता है कि दिव्यांगजनों से सम्बन्धित स्पष्ट रिक्ति की सूची बनाकर, जिसमें प्रखण्ड/नगर/पंचायत नियोजन इकाई के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में एक समेकित स्थान पर पुन: आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए। आवेदन प्राप्त करने हेतु बढ़ायी गयी 15 दिनों की तिथि का प्रचार-प्रसार भी कराया जाए ताकि वैसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा आवेदन समर्पित नहीं किया जा सका है, आवेदन समर्पित कर सकें। बढ़ाये गये समय की गणना रोस्टर प्रकाशन की तिथि से की जायेगी।

कृ0पृ0उ0............

Scanned with CamScanner

विदित हो कि दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है। इस सम्बन्ध में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

वाद की अग्रेतर सुनवाई में सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पक्ष सुनना न्यायसंगत प्रतीत होता है, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग को प्रतिवादी के रूप में अंकित कर नोटिस निर्गत करें।

वाद की सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-13.01.2020 समय पूर्वा0 11:00 बजे निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को प्रतिवादीगण प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को उपलब्ध कराएँ।

23.12.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद सं0-84/2019 1411/31.12.19

दिनांक 23 दिसम्बर'19

प्रतिलिपि:-

(1) सभी जिला के "जिला शिक्षा पदाधिकारी", बिहार
(2) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(3) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(4) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
(5) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

} सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.12.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद सं0-84/2019 1411/31.12.19

दिनांक 23 दिसम्बर'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23.12.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner